अति महत्वपूर्ण

संख्या-17/2020/924/63-व0उ0-2020-60(एच)/2016टी0सी-।।

प्रेषक,

रमा रमण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः15 अक्टूबर, 2020

विषयः- पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के दिशा-निर्देशों में परिवर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1969/24-पी-3-2006 दिनांक 14-06-2006 द्वारा पूर्व में जारी पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना दिनांकः 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगी। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के शासनादेश संख्या-1403/63व0उ0-2019-60(एच)/2016 टी0सी0 दिनांक 04-12-2019 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 01 अगस्त 2020 से प्रभावी माने जायेंगे।

2- शासनादेश संख्या-1403/63व0उ0-2019-60(एच)/2016टी0सी0 दिनांक 04-12-2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
रमा रमण
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-17/2020/924(1)/63-व0उ0-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, (वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in